भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3843

जिसका उत्तर सोमवार, 24 मार्च, 2025/3 चैत्र, 1947 (शक) को दिया गया

एनपीएस वात्सल्य योजना के उद्देश्य

3843. श्री अनूप प्रधान वाल्मीकि:
सुश्री बाँसुरी स्वराज:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वेतनभोगी कर्मचारियों की बचत बढ़ाने के लिए एनपीएस वात्सल्य योजना शुरू की है;

(ख) यदि हाँ, तो इस योजना की मुख्य विशेषताएं और उद्देश्य क्या हैं; और

(ग) क्या इस योजना में नामांकन करने वालों को कोई कर लाभ या अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान किए जाते हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यह योजना विशेषकर वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए किस प्रकार उपयोगी है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) और (ख): पूर्ण पेंशन युक्त समाज सृजित करने के उद्देश्य से अवयस्कों के लिए अंशदायी पेंशन योजना के रूप में दिनांक 18.09.2024 को एनपीएस-वात्सल्य योजना का शुभारंभ किया गया है। यह योजना माता-पिता/अभिभावकों द्वारा उनके अवयस्क अभिदाता के लिए न्यूनतम 1000 रुपये प्रति वर्ष का अंशदान करने के लिए बनाई गई है, जिसमें अधिकतम अंशदान की कोई सीमा नहीं है। वयस्क होने पर अभिदाता के खाते को निर्बाध रूप से एनपीएस खाते में परिवर्तित किया जा सकता है। यह योजना पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) के विनियमन के अंतर्गत प्वाइंट ऑफ प्रेजेंस (पीओपी) के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है, जिसमें बैंक शाखाएं और गैर-बैंक संस्थाएं शामिल हैं। एनपीएस वात्सल्य खाता एनपीएस न्यास द्वारा उपलब्ध कराए गए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी खोला जा सकता है।

एनपीएस वात्सल्य सेवानिवृत्ति कॉर्पस में आरंभिक निवेश की शुरुआत के साथ पीढ़ियों में सेवानिवृत्ति योजना की संस्कृति और आदत को बढ़ावा देकर तथा बच्चों के लिए आरंभिक बचत को प्रोत्साहित कर अंतर-पीढ़ीगत (इंटर जेनरेशन) समता और वित्तीय सुरक्षा को बढ़ावा देता है।

(ग): पुरानी कर व्यवस्था के अंतर्गत, दिनांक 01.04.2025 से वेतनभोगी व्यक्तियों सहित माता-पिता या अभिभावकों द्वारा किए गए एनपीएस वात्सल्य अंशदान के लिए धारा 80सीसीडी (1बी) के तहत 50,000 रुपये तक की आयकर कटौती का प्रावधान किया है।

******